क्र	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
30/7/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित बहस प्र० पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए अंतरिम स्थगन दिनांक 24.8.15 को पारित किया गया है जिसे मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थी ने बताया कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में अन्य भी कई वाद अलग-अलग जगह चल रहे है अतः न्यायालय के आदेश दिनांक 24.8.15 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म करने से कोई आपत्ति नहीं है। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थिया के हक हिस्से का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य के आधार पर होना है लेकिन तब तक विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द होने से रोकना आवश्यक है अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 24.08.15 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को खसरा नं० 328, 329 ग्राम बागोरिया की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.7.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हस्ताक्षर 30.7.24 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) मंडलगढ़	